राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.1(4)वित्त/नियम/2015 **जयपुर, दिनांक :** 16 NOV 2017

परिपत्र

विषय :– राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों / बोर्ड इत्यादि से राज्य सरकार के विभागों में विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) हेतु सामान्य शर्तें एवं निर्देश।

राजकीय सार्वजनिक उपक्रमों/मण्डलों एवं स्थानीय निकायों आदि के कर्मचारियों को राजकीय विभागों में विभिन्न पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर लेने के संबंध में परिपत्र संख्या 1(2)वित्त/नियम/2003 पार्ट–I दिनांक 17.02.2007 के द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देश/शर्तों के बिन्दु संख्या (iv) एवं (xviii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(iv) विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले कर्मचारियों के संबंध में परिपत्र की शर्त संख्या (i), (ii) एवं (iii) के अनुसार वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्ताव किये जाने पर ऐसे कर्मचारी को वित्त विभाग की सहमति से एक वर्ष तक विपरीत प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकेगा। वित्त विभाग की सहमति से रखे गये कर्मचारी की विपरीत प्रतिनियुक्ति अवधि 4 वर्ष तक के लिये प्रशासनिक विभाग के स्तर पर और बढ़ाई जा सकेगी। विपरीत प्रतिनियुक्ति की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। 5 वर्ष की विपरीत प्रतिनियुक्ति पूर्ण होने की स्थिति में निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी :–

1. वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 16.01.2015 के द्वारा विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम अवधि 5 वर्ष पूर्ण होने पर संबंधित कार्मिक को पैतृक संस्थान के लिये कार्यमुक्त किया जावेगा।

2. राजकीय विभाग में 5 वर्ष से अधिक अवधि तक पद रिक्त रहने एवं रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय के दृष्टिगत पद को विपरीत प्रतिनियुक्ति से भरा जाना आवश्यक हो तो प्रशासनिक विभाग द्वारा पद रिक्त रहने की तथ्यात्मक स्थिति एवं लोक हित में रिक्त पद को विपरीत प्रतिनियुक्ति से भरे जाने की कार्यात्मक आवश्यकता के औचित्य सहित रिक्त पद पर अन्य कर्मचारी की विपरीत प्रतिनियुक्ति का प्रस्ताव वित्त विभाग को भिजवाया जायेगा। सामान्यतया जिन कर्मचारियों की अधिकतम 5 वर्ष की विपरीत प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण हो चुकी है उनको विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के प्रस्ताव नहीं भिजवाये जावेंगे।

3. विशिष्ठ मामलों में विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम 5 वर्ष की अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों की विपरीत प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं लिया जाना

आवश्यक हो तो प्रशासनिक विभाग द्वारा उक्त विशिष्ठ कारण को अंकित करते हुए प्रकरण वित्त विभाग को सहमति हेतु भिजवाया जायेगा। ऐसे विशिष्ठ प्रकरण में विपरीत प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाये जाने के प्रस्ताव के संबंध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त/प्रमुख शासन सचिव, वित्त के स्तर से निर्णय लिया जायेगा।

(xviii) विपरीत प्रतिनियुक्ति (Reverse Deputation) पर किसी भी कर्मचारी को वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति के उपरान्त ही लिया जा सकेगा। विपरीत प्रतिनियुक्ति पर केवल उपयुक्त कार्मिकों को लिये जाने हेतु संबंधित विभाग द्वारा कार्मिकों की शैक्षणिक योग्यता, कार्मिक द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का विवरण प्राप्त किया जायेगा तथा विभाग में जिस कार्य के लिये विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लिया जाना है उसके संदर्भ में विभाग द्वारा कार्मिक की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जायेगा। ऐसे उपयुक्त पाये गये कार्मिक का गत 7 वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में से 5 वार्षिक कार्य मूल्यांकन बहुत अच्छा होने, कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच/न्यायिक प्रकरण बकाया न हो, अनुशासनिक नियमों के तहत दण्डनीय कार्यवाही नहीं होने तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर समकक्ष कर्मचारी को लिये जाने से पूर्व गत 7 वर्षों में नियमित वेतन वृद्धि प्राप्त होने, अनुशासनिक नियमों के तहत कार्यवाही नहीं होने, विभागीय जांच एवं न्यायिक प्रकरण बकाया नहीं होने का प्रमाण पत्र संबंधित संस्थान से प्राप्त कर विभागीय स्तर पर स्क्रीनिंग कर ऐसे कार्मिकों को विपरीत प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने हेतु प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को भिजवाया जायेगा।

परिपत्र दिनांक 17.02.2007 की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

(डी.बी. गुप्ता)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिवगण।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर ।
9. उप निदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
10. समस्त कोषाधिकारी।
11. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप–7) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
12. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), वित्त विभाग (कम्प्यूटर सैल)।
13. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।
14. रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(महेन्द्र सिंह भूकर)
संयुक्त शासन सचिव–I, वित्त

(RSR 28 /2017)